<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 831

23 जुलाई, 2018 को उत्तर के लिए

सेलम स्टील प्लांट का निजीकरण

831. श्री सी. गोपालकृष्णनः

श्री पी. नागराजनः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का लाभ में चल रहे 'सेलम स्टील प्लांट' के निजीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक अनुमोदन मिलने की संभावना है; और

(घ) इस संयंत्र द्वारा विगत 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क) से (ग): जी हाँ। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 27 अक्टूबर 2016 को हुई अपनी बैठक में सेलम इस्पात संयंत्र के योजनाबद्ध विनिवेश को 'सैद्धांतिक रूप से' अनुमोदन प्रदान किया। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इसके लिए मूल आर्थिक सिद्धांत का अनुपालन किया गया है कि सरकार को ऐसे क्षेत्रों में सेवाओं और सामानों के विनिर्माण/उत्पादन में स्वयं को शामिल नहीं करना चाहिए, जहाँ प्रतिस्पर्धात्मक बाजार विकसित हो गए हों और कि ऐसी कंपनियाँ प्रौद्योगिकीय उन्नयन और कुशल प्रबंधन पद्धतियों जैसे विभिन्न कारकों के कारण निजी हाथों में बेहतर कार्य कर पाएगी। नीति आयोग ने योजनाबद्ध विनिवेश के उद्देश्य से सीपीएसई को (i) राष्ट्रीय सुरक्षा, (ii) प्रभुता के कार्यों को अलग रखना, (iii) बाजार संबंधित कमियाँ और जन उद्देश्य के आधार पर 'उच्च प्राथमिकता' और 'निम्न प्राथमिकता' में वर्गीकृत किया है। वर्तमान में, निम्न प्राथमिकता वाले सीपीएसई को योजनाबद्ध विनिवेश में शामिल किया गया है।

(घ): विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सेलम इस्पात संयंत्र द्वारा अर्जित लाभ/हानि के ब्यौरे **अनुलग्नक** के रूप में संलग्न है।

*****

अनुलग्नक

(लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 831 दिनांक 23.07.2018)

विगत तीन वर्षों के दौरान सेलम इस्पात संयंत्र (एसएसपी) द्वारा अर्जित लाभ/हानि:

मदें	**वित्तीय वर्ष (एफवाय) ईकाई: (करोड़ रुपये)**		
	2015-16	**2016-17**	**2017-18**
कर-पूर्व लाभ (पीबीटी)/हानि (-)	-462	-235	-211